संख्या-436/2018/2258/22-2-2017-17(743)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरवन उर्फ काका पुत्र श्री रज्जन सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32186/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-12-07-2017 दिनांक 05-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सरवन उर्फ काका पुत्र श्री रज्जन सिंह, निवासी-ग्राम-अब्दुलपुर, थाना-चौबेपुर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा सिंचाई से मना करने के विवाद को लेकर घटना दिनांक 19.11.1979 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-15/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8, कानपुर के आदेश दिनांक 30.10.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-2642/1981 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2003 द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी का 01 सहअभियुक्त दोषमुक्त व 02 अन्य सहअभियुक्त सजा भुगत रहे हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 11.0 5.2016 तक 12 वर्ष 10 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 01 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। यद्यपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सरवन उर्फ काका (बन्दी संख्या-16756) पुत्र श्री रज्जन सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-436/2018/2258(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in